

21.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

विशेष विद्वान अभियोजक उपस्थित है।

पत्रालवी आज वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत है।

पत्रालवी वर्ष 1999 से लंबित चली आ रही है। अभियोजन की ओर से कुल एक ही साक्षी को प्रस्तुत कराया गया है, अन्य कोई साक्ष्य परीक्षित नहीं कराया गया है। वर्तमान पत्रावली का शीघ्रता से निस्तारण किए जाने हेतु अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि वे वर्ष 1999 से लंबित पत्रावली में जो भी साक्षीगण प्रस्तुत कराना चाहते हैं उनको नियत तिथि पर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश की एक प्रति जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को प्रेषित किए जाने हेतु विशेष विद्वान अभियोजक को उपलब्ध कराया जाए।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक-08.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।